जा रहा है। तथापि एक योजना पहले सी ही चल रही है जिसके अन्तर्गत भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, परती भूमि तथा भूदान भूमि वितरित की जाती है। अब तक 31.04 लाख एकड़ अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, 127.97 लाख एकड़ परती भूमि तथा 24.42 लाख एकड़ भूदान भूमि वितरित की जा चुकी है।

विवरण

कृषि मज़दूरों की राज्य-वार संख्या

क्रम संख्या	भारत/राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कृषि मजदूर
	भारत (राज्य जम्मू व कश्मीर को छोड़कर)	74,597,744
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	11,625,159
2.	अरुणाचल प्रदेश	20,054
3.	असम	844,964
4.	बिहार	9,512,992
5.	गोआ	35,284
6.	गुजरात	3,230,547
7.	हरियाणा	896,782
8.	हिमाचल प्रदेश	58,668
9.	कर्नाटक	4,999,959
10.	केरल	2,120,452
11.	मध्य प्रदेश	5,863,029
12.	महाराष्ट्र	8,313,223
13.	मणिपुर	47,350
14.	मेघालय	89,492
15.	मिजोरम	9,527
16.	नागालैंड	7,233
17.	उड़ीसा	2,976,750
18.	पंजाब	1,452,828
19.	राजस्थान	1,391,670
20.	सिक्किम	12,851
21.	तमिलनाडु	7,896,295
22.	त्रिपुरा	187,538
23.	उत्तर प्रदेश	7,833,258
24.	पश्चिम बंगाल	5,055,478
	केन्द्र शासित क्षेत्र	
1.	अंडमान व निकोबार	4,989
2.	चण्डीगढ़	1,642
3.	दादर व नगर हवेली	6,233
4.	दमन व दीव	1,199
5.	दिल्ली	25,195
6.	लक्षद्वीप	—
7.	पांडिचेरी	77,203

स्रोत:—भारत की जनगणना, 1991, 1992 के अंतिम जनसंख्या आंकड़े (तालिका-4) की श्रृंखला-1, पार्ट-2

देश में परती भूमि का क्षेत्रफल

2819. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विशाल भूमि क्षेत्र परती भूमि के रूप में पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी प्राकलन के अनुसार देश में परती भूमि का क्षेत्रफल कितना है और यह देश की उर्वरा कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले दशक में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिससे देश में परती भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का दायित्व वहन करने की अपेक्षा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकारी योजना के अनुसार राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किये जाने के पश्चात् देश में परती भूमि के क्षेत्रफल में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत भूमि को कितने वर्षों में कृषि योग्य बनाया गया है; और

(च) क्या सरकार के पास देश की शेष परती भूमि का कृषि योग्य बनाने की कोई समयबद्ध योजना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह): (क) और (ख) जी, हां, इस समय देश का विशाल क्षेत्र बंजर भूमि के अंतर्गत है। तथापि, देश में बंजरभूमि के फैलाव का कोई सही आधिकारिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। लेकिन बंजरभूमि के क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड ने बंजरभूमि के विस्तृत मानचित्रण के लिए पहले ही बंजरभूमि पहचान परियोजना आरंभ की है। अब तक 237 जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत कवर किया गया है। एक अनुमान के आधार पर 129.58 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र बंजरभूमि के अंतर्गत है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 39.42 प्रतिशत है।

यह अनुमान लगाया गया है कि देश में कुल 141.41 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र कृषि के अंतर्गत है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 42.92 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) जी हां, वनीकरण और वृक्षारोपण के एक बृहत कार्यक्रम के माध्यम से देश में बंजरभूमि को उपजाऊ बनाने के मुख्य उद्देश्य से 1985 में राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया था। तथापि, बोर्ड को सौंपे गये उत्तरदायित्व में बंजरभूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना शामिल नहीं है। राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया जिसके अंतर्गत विभिन्न केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत बंजरभूमि सहित भूमि पर वनीकरण और वृक्षारोपण गतिविधियां की जाती हैं। 31.3.94 तक 12.662 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र वृक्षारोपण के अंतर्गत लाया गया है और निजी भूमि पर रोपण हेतु 5029.61 मिलियन बीजांकुरों का वितरण किया गया है।

जुलाई, 1992 में, राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय में बंजरभूमि विकास विभाग के अंतर्गत रखा गया। राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को वनेतर बंजरभूमि के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस संदर्भ में बोर्ड निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम

(2) अनुदान सहायता योजना

(3) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना

(4) बंजरभूमि विकास कार्य दल

(5) निवेश संवर्धन योजना

(ङ) व (च) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड बायोमास उत्पादन विशेषकर ईंधन लकड़ी और चारे में वृद्धि के लिए बंजरभूमि के सतत् विकास के लिए उत्तरदायी है। बंजरभूमि के लिए स्पष्ट लक्ष्य विभिन्न केन्द्र और राज्य योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर है।

मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में भूमिगत जल के स्तर में ह्रास

2820. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में निरंतर ह्रास हो रहा है और गांवों में अनेक हैंड पम्प ठप्प हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार पेय जल की आपूर्ति बनाये रखने और भूमिगत जल स्तर में ह्रास को रोके जाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं; यदि हां, तो कितने और उन प्रस्तावों को स्वीकृति संबंधी स्थिति क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी, हां। मध्य प्रदेश के पठारी इलाकों में भूजल की निकासी की तुलना में इसकी कम संपूर्ति के कारण जल स्तर नीचे चला जाता है जिसके कारण ट्यूबवैलों की क्षमता में कमी हो जाती है अथवा वे सूख जाते हैं।

(ख) इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) मध्य प्रदेश में जल एकत्रीकरण ढांचो के लिए योजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की गई है। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(लाख रु० में)

जिला	अनुमोदित योजनाओं की कुल लागत	रिलीज की गई निधियां	सूचित खर्च
झाबुआ	111.080	11.080	130.750
राजगढ़	143.060	143.060	170.170
शहडोल	314.600	306.870	301.430

(2) 2 अगस्त 1994 को आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य सरकारों से केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा पता लगाए गए "डार्क एंड ग्रे" खंडों में भूजल की अत्यधिक निकासी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का अनुरोध किया गया है।